खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 409 / 2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम बाबुलाल व अन्य

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.
खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 409 / 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 527

सायल :–		गैर सायल :–
भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली	बनाम	1. बाबुलाल पुत्र गुलाब जाति घांची निवासी बांगडी सुमेरपुर मैसर्स महेन्द्र जनरल स्टोर, दादावाडी के सामने, बस स्टेण्ड के सामने कोसेलाव जिला पाली (फर्म मालिक) 2. चेतन कुमार गेहलोत मैसर्स जय हनुमान ट्रेडर्स रणकपुर रोड़ सादडी पाली (प्रोपराईटर) 3. श्री वेकरिया सुरेश भाई मैसर्स बालाजी फुड प्रोड़क्ट **S, No 101/1 PLOT NO 41 TO 43 Aadarsh ind zone Near Shaktiman Agro At Bhunava 3603111 Gondal Dist Rajkot Gujrat** (मालिक)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.एस.ए एक्ट, 2006 नियम 2011

<u>–:निर्णयः–</u>

दिनांकः 21.02.2025

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जुर्म दफा 26 की उपधारा (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 08.07.2024 को दर्ज किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार सायल भुराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली दिनांक 25.07.2023 को 02.30 पी0एम0 बजे निरीक्षण के दौरान मैसर्स महेन्द्र जनरल स्टोर, दादावाडी के सामने, बस स्टेण्ड के सामने, कोसेलाव जिला पाली पर पहूंचे, निरीक्षण के दौरान दुकान में एक व्यक्ति बैठा था जिसका नाम व पता पुछने पर अपना नाम श्री महेन्द्र जनरल स्टोर्स का मालिक होना बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय देते हुए फर्म मालिक की उपस्थिति में गोदाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान में प्योरएवर ब्राण्ड के अलग–अलग पैकेटो में घी ब्राण्ड प्योरएवर रखा हुआ था जिसे बाबुलाल आम जनता को विक्रय हेतु अपने कब्जें में रखा हुआ था।

निरीक्षण के दौरान घी ब्राण्ड प्योरएवर 500 एमएल में मिलावट का संदेह होने पर सरकारी जांच हेतु घी ब्राण्ड प्योरएवर 500 एमएल का नमूना लेने की इच्छा जाहिर की इसके लिए मैने फॉर्म नम्बर 5ए भरकर स्वतंत्र गवाह की तलाश की किन्तु कोई गवाह मौजुद नहीं होने पर साथ आए आनन्द कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय हाजा को गवाह बनाकर हस्ताक्षर करवाये व मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर फॉर्म की एक प्रति दुकान मालिक श्री बाबुलाल को देकर यह सुचित किया कि उक्त नमूना वास्ते सरकारी जांच हेतु क्रय किया गया है।

दुकान में रखे घी ब्राण्ड प्योरएवर को 500 एमएल के 04 पैकेट वास्ते जांच हेतु खरीद कर नकद भूगतान अक्षरे 900/– रुपये का भूगतान जरिये रसीद के किया गया। उक्त घी के चार मूल पैकेट 500–500 एमएल मात्रा मके लेकर प्रत्येक पैकेट पर नियमानुसार विवरण स्लीप भरकर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाई। प्रत्येक कंटेनर को अलग–अलग चार मोटे व खाकी रंग के कागज में लपेट कर लपेटे गए कागज के दौनो सिरों को गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूने पर अभिहित अधिकारी एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी पाली के हस्ताक्षर युक्त चार एक ही नम्बर की पेपर स्लीप आर–1960 प्रत्येक नमूने पर एक एक पेपर स्लीप एराउण्ड दी व प्रत्येक नमूने को चारों तरफ से नियमानुसार मजबूत एवं

अति. जिला कलक्टर
(पाली)

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 409/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम बाबुलाल व अन्य

मोटे धागे से बांधा गया। प्रत्येक नमूने पर चार–चार उपर नीचे दाये बायें चपडी लगाकर ब्रास सील से सील बंद किया। मौके पर ही मुल्जिम व गवाहों की उपस्थिति में मेरे द्वारा मौका फर्द तैयार की गई जिसे मौके पर मुल्जिम व गवाहों को पढकर सुनाई तथा उनके द्वारा मंजूर किये जाने पर गवाहों व मूल्जिम के हस्ताक्षर करवाये व मैंने भी हस्ताक्षर किये।

नमूना संख्या आर–1960 जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 6 पर नमूना सील जिसका प्रयोग सैम्पल लेते वक्त नमूना सील करने में उपयोग किया गया था। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्रास सील से सील किया जिसकार प्रयोग इन चारों नमूनो को सील बंद करने में किया गया एवं आउटर कवर पर नमूना विवरण अंकित किया गया एवं एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की दो प्रति रखकर खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर का पता अंकित कर ब्रास सील द्वारा लिफाफे को सील बंद किया। आउटर कवर सील नमूना एवं सीलबंद नमूना अशोक विश्नाई संगणक कार्यालय हाजा द्वारा 26.07.2023 को खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

नमूनो के शेष दिवितय एवं तृतीय एवं चतूर्थ भाग मय फार्म नम्बर 6 की एक प्रति आउटर कवर में लपेटते हुए ब्रॉस सील से शील्ड कर अवस्था अभिहित अधिकारी मु.चि. एवं स्वा. अधिकारी पाली को 25.07.2023 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। उक्त घी ब्राण्ड प्योरएवर नमूना आर–1960 की जांच कर खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला पाली ने अपनी जांच रिपोर्ट एल.एस. 2051/एक्ट/2023/2092 दिनांक 08.08.2023 अभिहित अधिकारी मु.चि. एवं स्वा. अधिकारी पाली को भेजी जिसमें अभिहित अधिकारी मु.चि. एवं स्वा. अधिकारी पाली में नमूनें की जांच रिपोर्ट चार प्रतियों में प्राप्त कर उक्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त घी ब्राण्ड प्योरएवर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के निर्धारित मापदण्ड के अनुरुप नही है उक्त नमूना अवमानकर स्तर का पाया गया। जांच की प्रति जरिये नोटिस श्री बाबुलाल पुत्र गुलाब मैसर्स महेन्द्र जनरल स्टोर कोसेलाव जिला पाली को जरिये डाक से प्रेषित कर सूचना दी गई कि उक्त नमूने की पुनः जांच करवाना चाहते हो तो पत्र प्राप्ति के 30 दिन के भीतर–भीतर अभिहित अधिकारी पाली के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते है। अभिहित अधिकारी पाली द्वारा सम्पूर्ण जांच कर पत्रावली पेश करने हेतु निर्देशित किया इस पर फर्म से जरिये नोटिस फर्म से संबंधित दस्तावेज मांगे। इस पर फर्म द्वारा दस्तावेज व खरीद बिल पेश किया। जिस बिल को आधार मानकर मैसर्स प्योरएवर फूड प्रोडक्ट प्लॉट नम्बर 20 से 23 प्रथम इण्डस्ट्रीयल एरिया मंगरोल सुरत गुजरात 395010 के नोटिस भेजा इसके बाद फर्म द्वारा दस्तावेज भेजे।

उक्त प्रकरण में जांच पूर्ण होने पर इससे संबंधित पत्रावली तैयार कर अभिहित अधिकारी मु. चि. स्वा. अधिकारी पाली को प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी मु.चि. एवं स्वा. अधिकारी पाली द्वारा पूर्ण अवलोकन कर व दस्तावेज व तथ्यो पर विचार (1) बाबुलाल पुत्र गुलाब (2) चेतन कुमार गहलोत मैसर्स जय हनुमान ट्रेडर्स रणकपुर रोड़ सादडी (3) वेकरिया सुरेशभाई मैसर्स बालाजी फुड प्रोडक्ट के विरुद्ध अवमानक स्तर का घी बेचने के जुर्मदफा 26(2)(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के तहत पेश कर अभियुक्तगणों को एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 51 के तहत दण्डनीय है।

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटीस सूचित किया गया। नियत दिनांक को अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित हुए। काबिल अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया अभियुक्तगणों के खिलाफ प्रस्तुत इस्तगासा को निरस्त फरमावें। अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से Balaji Food Product के 'पार्टनर' और 'authorised Signatory' श्री विमल पटेल की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस के दौरान उठाए गए तथ्यों पर मनन एवं विश्लेषण किया गया एवं खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट एल.एस./2051/एक्ट/2023/2092 दिनांक 08.08.2023 का अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट में घी नमूना कोड संख्या आर–1960 Foreign Fat Present. की पुष्टि की गई है। जिससे यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 द्वारा विक्रय किये जाने वाला घी ब्राण्ड प्योरएवर जो निर्धारित मापदण्ड के अनुरुप नहीं है, एवं उक्त नमूना अवमानक स्तर का पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना उक्त अधिनियम की धारा 51 में निर्धारित है। जवाब पत्र के पैरा 07 में अप्रार्थी संख्या 01 लगाय 03 के अधिवक्ता ने स्वीकार किया है कि प्रश्नगत खाद्य सामग्री 'घी' अप्रार्थी संख्या 03 निर्माता फर्म मैसर्स बालाजी फूड प्रोड़क्ट से खरीदा गया था। इस प्रकार अवमानक श्रेणी का घी ब्राण्ड प्योरएवर का मौके पर विक्रय करते हुए पाए जाने के कारण अप्रार्थी संख्या एक, इन्वॉइस नम्बर 6950 दिनांक

अति. जिला कलक्टर
(पाली)

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 409 / 2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम बाबुलाल व अन्य

09.07.2023 द्वारा उक्त माल अप्रार्थी संख्या 02 से खरीदशुदा होने से अप्रार्थी संख्या दो तथा उक्त माल की निर्माता फर्म होने से अप्रार्थी संख्या तीन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के उल्लंघन के दोषी पाये जाते है।

अतः अप्रार्थी द्वारा खाद्य मानक अधि. 2006 की धारा 26 (2) (ii) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 49 में विहित मापदण्डों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा 51 में विहित प्रावधानान्तर्गत अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत बिल इन्वॉइस नम्बर 6950 दिनांक 09.07.2023 में अंकित उक्त खाद्य सामग्री की कीमत राशि 1,69,170 / – की 50 प्रतिशत राशि अर्थात् 84585 / – मात्र का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। उक्त जुर्माना राशि तीनों अप्रार्थीगण के मध्य समान रुप से विभक्त करने के निर्देश दिए जाते है, अर्थात् अप्रार्थी संख्या 1, 2 एवं 3 द्वारा पृथक–पृथक राशि 28,195 / – का जुर्माना, कुल राशि 84,585 / – अदा की जाए। साथ ही, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को निर्देश दिए जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थीगणों से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानुन के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि" मे जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

क्रमांक / कोर्ट / खा.सु.प्र.स.409 / 2024 / 2025 / 281-283 दिनांक : 21/02/25

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
3. श्री भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

Scanned with OKEN Scanner